औषधि योजना

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर

ईमेल -dfobkn@gmail.com & dcf.bknr.forest@rajasthan.gov.in
पब्लिक पार्क, बीकानेर फोन– 0151–2544951

क्रमांक – एफ( )सर्वे / उवसं–बी / 2021–22 / 7845 दिनांक :– 14/9/2021

निमित्त,

महिन्द्रा सस्टेन प्रा० लि०,
महिन्द्रा टावर, जी०एम० भोसले मार्ग
पीके कुरने चाउन वरली मुम्बई महाराष्ट्र

विषय:– " Diversion Of 0.0812 ha. Of Forest Land In Favour Of Mahindra Susten Pvt.Ltd. For Construction of 220 KV S/C Transmission Line for Power Evacuation from 200 MW Solar Power Project of M/s Mahindra Susten Private Limited Village Khari Charnan, Tehsil-Kolayat, District Bikaner Rajasthan to RVPNL 220 KV Gajner Substation PROPOSAL NO. : FP/RJ/TRANS/116897/2020

संदर्भ– उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्रांक 8बी / राज. / 04 / 19 / 2021 / एफसी दिनांक 10.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृ. क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक 8बी / राज. / 04 / 19 / 2021 / एफसी दिनांक 10.09.2021 द्वारा " Diversion Of 0.0812 ha. Of Forest Land In Favour Of Mahindra Susten Pvt.Ltd. For Construction of 220 KV S/C Transmission Line for Power Evacuation from 200 MW Solar Power Project of M/s Mahindra Susten Private Limited Village Khari Charnan, Tehsil- Kolayat, District Bikaner Rajasthan to RVPNL 220 KV Gajner Substation PROPOSAL NO. : FP/RJ/TRANS/116897/2020 में वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः शर्तो अनुसार निम्न बिन्दुओ की राशि जमा करवाकर पालना भिजवाना सुनिश्चित करावे।:–

बिन्दु सख्या 03– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु नई बी. एस.आर. 252 / – रूपये मॉडल अनुसार आवश्यक धनराशि रूपये 100800 / – (अखरे रूपये एक लाख आठ सो मात्र) कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करावें।

बिन्दु सख्या 04– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि = 0.0812 है० X 438000 रूपये = 35566 / – (अखरे रूपये पैंतीस हजार पांच सौ छियासठ मात्र) रूपये कैम्पा मद नई दिल्ली मे जमा करावे ।

बिन्दु सख्या 07– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधो(मुख्यत औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु नई बी.एस.आर.252 / –अनुसार आवश्यक धनराशि = 0.5 है० X 657552 रूपये = 328776 / – (अखरे रूपये तीन लाख अटाईस हजार सात सौ छियेतर मात्र) रूपये कैम्पा मद नई दिल्ली मे जमा करावे ।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओ के बिन्दु संख्या 1,2, 5 से 6, एवं 8 से 22 की बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावें। प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई–चालान से कैम्पा मद में जमा करवाकर मूल प्राप्ति रसीद भिजवावें ।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012– एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
14/9/21
(रंगास्वामी ई. IFS)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

क्रमांक / सम / दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर

(रंगास्वामी ई., IFS)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

Scanned by CamScanner